



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 04.01.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट खीरी द्वारा जनपद खीरी में विभिन्न स्थानों से 11 नाबालिग बच्चों को बालश्रम से मुक्त कराया गया



उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुसार 05 वर्षों में बालश्रम से प्रदेश को मुक्त करने के संकल्प के क्रम में जनपद खीरी में श्रमायुक्त उप्र के आदेश, जिलाधिकारी खीरी, श्री महेंद्र बहादुर सिंह द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी/नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में बालश्रम के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा। जिसके क्रम में आज दिनांक 04.01.23 को एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट के निरीक्षक जैनेन्द्र कुमार और कांस्टेबल राजेश कुमार द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्री सन्तोष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में चाइल्ड लाइन खीरी के सन्तोष कुमार और सुचेतना के साथ श्रम मजदूर सेवा वेलफेयर सोसाइटी के जिला समन्वयक, अनुरूद्ध मिश्रा द्वारा थाना निघासन क्षेत्रान्तर्गत दुकानों पर कार्य करने वाले किशोर श्रमिकों को चिन्हित करते हुए संबंधित सेवायोजकों के विरुद्ध नोटिस जारी की।

साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट द्वारा सेवायोजकों से अपील की कि वे 14 वर्ष तक के किसी बच्चों को अपने यहाँ काम पर न रखे और 14 से 18 वर्ष के किशोर को केवल गैर खतरनाक प्रक्रिया में नियमानुसार ही नियोजित करें। उक्त अभियान के क्रम में 11 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा, 02 नफर वांछित अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.01.23 को थाना सिंगाही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 306/22 धारा 147/148/307/353/332/342/323/504/272 भादवि व 60(2) आबकारी अधि0 में वांछित 02 नफर अभियुक्ताओं विशुन कुमारी पत्नी लल्लन व नन्ही देवी पत्नी मानू कुमार को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

- 1-विशुन कुमारी पत्नी लल्लन नि0 ग्राम कठौहा बेरिया सेमरा थाना निघासन जनपद खीरी
- 2-नन्ही देवी पत्नी मानू कुमार नि0 ग्राम बथुआ टांडा थाना सिंगाही जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 मन्जीत सिंह तोमर
- 2-म0का0 नेहा श्रीवास्तव
- 3-म0का0 मोनिका देवी

थाना मितौली पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त खुशीराम पुत्र जमुनादीन को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 03.01.23 को थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त खुशीराम पुत्र जमुनादीन निवासी रमुवापुर थाना मितौली जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मितौली पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 120 लीटर अवैध शराब बरामद कर 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 120 लीटर अवैध कच्ची शराब व 02 शराब भट्टी बरामद कर 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 09 अभियोग पंजीकृत किए गए।